



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092026-276105  
CG-DL-E-10092026-276105

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4726]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 5, 2026/भाद्र 14, 1948

No. 4726]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 5, 2026/BHADRA 14, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2026

**का.आ. 4915(अ).—** यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1584 (अ), दिनांक 10.11.2005 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 (नया एनएच-53) के किमी 9.200 से किमी 100.000 तक का नागपुर – कोंढाली – तलेगांव खंड का भाग भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सुपुर्द किया है;

अतः, अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दर अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 (जिसे इसके पश्चात् "नियम" कहा जाए) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्तमान प्रयोक्ता शुल्क अधिसूचना संख्या का.आ. 3059 (अ) दिनांक 30.12.2010 के अधिक्रमण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा महाराष्ट्र राज्य में एनएच-53 (पुराना एनएच-6) के डिजाइन किमी 9.200 से डिजाइन किमी 50.000 तक नागपुर-कोंढाली खंड के चार लेन के उपयोग के लिए नीचे दी गई तालिका 1 के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर 40.425 कि.मी. की निवल सड़क खंड लंबाई [सारणी-2] तथा 3.750 कि.मी. (0.375 किमी लंबाई वाली [सारणी-3]) समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक लंबाई वाली) के लिए सारणी 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट दरों पर शुल्क उद्घहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

| सारणी-1                                                                                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| वाहन का प्रकार                                                                                                      | प्रति किलोमीटर शुल्क की मूल दर आधार वर्ष 2007-08 के लिए<br>(रुपये में) |
| (1)                                                                                                                 | (2)                                                                    |
| कार, जीप, वैन या हल्का मोटर वाहन                                                                                    | 0.65                                                                   |
| हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन या मिनी बस                                                                 | 1.05                                                                   |
| बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)                                                                                         | 2.20                                                                   |
| तीन-धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन                                                                                        | 2.40                                                                   |
| भारी निर्माण मशीनरी (एच.सी.एम) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले) | 3.45                                                                   |
| बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)                                                                       | 4.20                                                                   |

1. इसके अंतर्गत उद्गृहीत और संगृहीत शुल्क ऐसे शुल्क प्लाजाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित शुल्क प्लाजाओं में देय और संदेय होगी, अर्थात्:-

| सारणी -2                                                                            |                                                         |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)                                                       | लंबाई (कि.मी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है              | दर जिस पर शुल्क संदेय है                                            |
| महाराष्ट्र के नागपुर जिले में गोंडखेड़ी गांव के पास किमी. 20.600 (डिज़ाइन चेनेज) पर | 40.425<br>[60 मीटर से अधिक संरचनाओं की लंबाई को छोड़कर] | चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% |

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित शुल्क भी देय और संदेय होगा:-

| सारणी -3                                                                            |                                                                |                                 |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| शुल्क प्लाजा का स्थान (चेनेज)                                                       | सड़क की लंबाई के समान परिवर्तित अवसंरचना की लंबाई (में .मी.कि) | समकक्ष सड़क लंबाई .मी.कि) (में) | दर जिस पर शुल्क संदेय है                                            |
| महाराष्ट्र के नागपुर जिले में गोंडखेड़ी गांव के पास किमी. 20.600 (डिज़ाइन चेनेज) पर | 0.375*                                                         | 3.75                            | चार अथवा अधिक लेन के लिए ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100% |

\*विवरण निम्नानुसार है:

| क्रम सं. | चेनेज   |         | संरचना का प्रकार | लंबाई (में .मी.कि) |
|----------|---------|---------|------------------|--------------------|
|          | किमी से | किमी तक |                  |                    |
| 1        | 48.340  | 48.715  | फ्लाईओवर         | 0.375              |
| कुल      |         |         |                  | 0.375 किमी         |

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और शुल्क प्लाज़ा से बीस कि.मी. की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2026-27 के लिए 360.00/-रूपए (तीन सौ साठ रूपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्वधीन है।

4. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

| सारणी-4                                                   |                                        |                             |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| संदेय धनराशि                                              | अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या | विधिमान्यता की अवधि         |
| एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना                   | दो                                     | भुगतान के समय से चौबीस घंटे |
| पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान शुल्क की राशि का दो-तिहाई | पचास                                   | भुगतान की तारीख से एक मास   |

5. शुल्क प्लाज़ा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अध्वधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश के लिए, कथित नियमों के नियम 10 के अनुसार अनुप्रयोज्य शुल्क के समतुल्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

9. उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर यांत्रिक वाहनों से शुल्क की वास्तविक राशि और छूटों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 272.55 करोड़ रुपये है। चूंकि भूमि अधिग्रहण, उपयोगिता स्थानांतरण, पेड़ों को काटने, भविष्य में सुदृढीकरण, क्षमता वृद्धि इत्यादि कामों को अभी पूरा किया जाना है, इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्वधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता शुल्क के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का प्राधिकरण द्वारा रिकॉर्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. एमएचडीआईवी-21013/9/2026पीआईयू- अमरावतीई (एमएच)-(268393)]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 3th September, 2026

**S.O. 4915(E).**—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1584(E) dated the 10.11.2005 issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch Nagpur – Kondhali – Talegaon section

from Km 9.200 to Km 100.000 of the National Highway No. 6 (New NH-53) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the "Authority").

Now therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "said rules") and in supersession of existing user fee notification S.O. 3059 (E) dated 30.12.2010, the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 40.425 km [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 3.750 km (having length of 0.375 km, [Table-3]) on the type of vehicle specified in column (1) of the Table-1 below, for use of Four Laning of Nagpur-Kondhali Section from Design kilometre 9.200 to Design kilometre 50.000 on NH-53 (Old NH-6) in the state of Maharashtra and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

| <b>Table 1</b>                                                                                                     |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Type of vehicle</b>                                                                                             | <b>Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)</b> |
| (1)                                                                                                                | (2)                                                                  |
| Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle                                                                              | 0.65                                                                 |
| Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus                                                          | 1.05                                                                 |
| Bus or Truck (Two Axles)                                                                                           | 2.20                                                                 |
| Three-axle commercial vehicles                                                                                     | 2.40                                                                 |
| Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles) | 3.45                                                                 |
| Oversized Vehicles (seven or more axles)                                                                           | 4.20                                                                 |

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely: -

| <b>Table 2</b>                                                                           |                                                  |                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Location of Fee Plaza (chainage)</b>                                                  | <b>Length (in km) for which Fee is payable</b>   | <b>Rate at which fee is payable</b>                                     |
| At Km.20.600 (Design Chainage) near Gondkhairi village in Nagpur District of Maharashtra | 40.425<br>[Excluding length of structure > 60 m] | 100% for four or more lane of the base rates mentioned in Table-1 above |

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10: -

| <b>Table 3</b>                                                                           |                                                                                 |                                       |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Location of Fee Plaza (chainage)</b>                                                  | <b>Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length</b> | <b>Equivalent road length (in km)</b> | <b>Rate at which fee is payable</b>                                       |
| At Km.20.600 (Design Chainage) near Gondkhairi village in Nagpur District of Maharashtra | 0.375*                                                                          | 3.75                                  | 100% for four or more lanes, of the base rates mentioned in Table-1 above |

\*The details are as under: -

| <b>Sr. No.</b> | <b>Chainage</b> |              | <b>Type of Structure</b> | <b>Length (in km)</b> |
|----------------|-----------------|--------------|--------------------------|-----------------------|
|                | <b>From Km</b>  | <b>To Km</b> |                          |                       |
| 1              | 48.340          | 48.715       | Flyover                  | 0.375                 |
| <b>Total</b>   |                 |              |                          | <b>0.375 Km</b>       |

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs 360.000/- (Rupees Three hundred Sixty only) for the year 2026-27 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

| <b>Table 4</b>                                                    |                                            |                                            |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Amount Payable                                                    | Maximum number of one-way journeys allowed | Period of validity                         |
| One and half times of the fee for one way journey                 | Two                                        | Twenty-four hours from the time of payment |
| Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys. | Fifty                                      | One month from date of payment             |

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in rule 10 of the said rules.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

9. Based on the Base rate of fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is Rs. 272.55 Crores. The Capital Cost is subject to variation as the activities of Land Acquisition, Utility Shifting, Tree Cutting, Future Strengthening, Capacity Augmentation etc. are yet to be completed. The Authority shall maintain a record of the recovery of Capital Cost through user fee realised.

[F. No. . MHDIV-21013/9/2026-PIU Amravati (MH) (E-268393)]

CHETNA NAND SINGH, Joint Secretary